बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक –प्र06–विविध–17 / 2019 3095 खाद्य, पटना / दिनांक– 10/07/19

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– समाज के कमजोर वर्ग एवं महादलित परिवारों विशेषकर इन्सेफलाइटिस (AES) से ग्रसित पात्र लाभुक परिवारों का NFSA से आच्छादित करने के संबंध मे।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1797 दिनांक 24.04.2019, 3946 दिनांक 16.08.2018, 1499 दिनांक 21.03.2018 एवं 2712 दिनांक 21.06.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करना चाहेंगे, जिसमें समाज के कमजोर वर्गो एवं महादिलत परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में इन्सेफलाइटिस (AES) की बीमारी से पीड़ित परिवारों को अचूक रूप से NFSA के लाभार्थी को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अतः पुनः अनुरोध है कि वैसे प्रभावित परिवार जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित किया जा चुका है, उन्हें यह सुनिश्चित किया जाय कि खाद्यान्न ससमय उपलब्ध हो। साथ ही वैसे प्रभावित परिवार, जिन्होने अपना नया राशन कार्ड निर्गत करने हेतु आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित किया है, उन्हें चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार प्रावधानों के आलोक में राशन कार्ड निर्गत करते हुए ससमय खाद्यान्न मुहैया कराया जाय।

विश्वासभाजन

10/7/19

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–17 / 2019 3095 खाद्य, पटना / दिनांक– 10/07/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/19

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–विविध–17 / 2019 3095 खाद्य, पटना / दिनांक– 10/07/19

प्रतिलिपि –अपर जिला दण्डाधिकारी, (आपूर्ति) पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/19

सरकार के अपर सचिव।

D:\Y-2019 YEAR-\SECTION - (06)\Vividh_Avinash.doc